Meticulous Investigation & Prosecution

Operation Conviction

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने वाले आरोपी बिल्लू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ सश्रम आजीवन कारावास व 46,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

BAGHPAT POLICE

अवगत कराना है कि अभियुक्त बिल्लू पुत्र शिशपाल उर्फ ऋषिपाल निवासी गढ़ी कांगरान थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2019 में वादी के घर में घुसकर हत्या करने व गम्भीर रूप से घायल करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 213/2019 धारा 452/302/307/504 भादवि व 3(2)5, 3(1)द,ख एससीएसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 29.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससीएसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बिल्लू को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 46,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

श्री राहुल नेहरा
डीजीसी जनपद
बागपत

श्री इन्द्रपाल
एडीजीसी
जनपद बागपत

मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार कोर्ट
पैरोकार थाना दोघट

Baghpat Police   baghpatpolice   @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 29.03.24**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 82/24 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस तथा चोरी किये हुए 1210 रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 28.03.24 को थाना खेकडा पर वादी नरेश जैन पुत्र ओमप्रकाश जैन निवासी छोटा बाजार कस्बा व थाना खेकड़ा ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की कास्मेटिक की दुकान के गल्ले से करीब 2200/- रूपये चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 82/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 82/24 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा चोरी किये हुए 1210 रूपये नगद बरामद हुए है । बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 84/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदिल पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला तेलीवाड़ा कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- चोरी किये हुए 2200 रूपये में से 1210 रूपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 1021 जितेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 29.03.2024

थाना छपरौली पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मिंटू उर्फ प्रदीप पुत्र जिलेसिंह निवासी ग्राम जागौस थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 235/2021 धारा 323/342/376/427/452/506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 67/2024 धारा 3/10 गुण्डा एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली।

2-का0 1006 नरसिंह।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 29.03.24

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 41/24 धारा 366 भादवि से संबंधित अपर्हता को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 41/24 धारा 366 भादवि से संबन्धित अपर्हता को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रहा है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष सुश्री साक्षी सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री फूल सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

3- का0 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत।

4- म0का0 488 वर्षा थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 29.03.2024**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 78/24 धारा 504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.03.24 को थाना रमाला पर वादिया ने सूचना दी कि वादिया के पति सूरज पुत्र सहजराम निवासी कुन्डली थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा द्वारा वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुये तमंचे से डराकर उसको जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 78/24 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धी की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 78/24 धारा 504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र सहजराम निवासी कुन्डली थाना राई जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3-का0 583 उमेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।